संख्या– 114 /XV-2/01(02)/2009(डेरी)

प्रेषक,

आर.मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02

देहरादूनः दिनांक 27 फरवरी, 2019

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–28 आयोजनागत अन्तर्गत 10–दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण योजना (सामान्य) में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1875–76 /नियोजन–प्रस्ताव दु0 सुदृ0/2018–19, दिनांक 07 फरवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत के अन्तर्गत कराये जाने वाले स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराये जाने के अतिरिक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, देहरादून की दुग्धशाला में अमूल गुजरात के तकनीकी अधिकारियों द्वारा सुझाये गये परिवर्तन Investor Summit-2018 के अन्तर्गत हुये करार के क्रम में निर्माण कार्यो हेतु रू0 80.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 21.39 लाख (रूपये इक्कीस लाख उन्चालीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 देहरादून की दुग्धशाला में गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन (अमूल). एवं उत्तराखण्ड कॉपरेटिव फैडरेशन (ऑचल) के मध्य हुये करार के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जाये।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
6. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219 (2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. शासनादेश संख्या–571/xxvii(1)/2010, दिनांक 19.10.2010 के दिशा निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाये।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेन्सी उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जाय।
11. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–102–डेरी विकास परियोजना–10–दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 519 /3(150)/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 114 /XV-2/01(02)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वितीय वर्ष - 20182019

Secretary, Dairy Development (S007)

न पत्र संख्या - 114/XV-2/01(02)/2019

ुदान संख्या - 028

अलोटमेंट आई डी - S190228049

आवंटन पत्र दिनांक -28-Feb-2019

HOD Name - Director Dairy Developmment (2353)

1: लेखा शीर्षक 2404 - डेरी विकास 00 -

102 - डेरी विकास परियोजनायें

10 - दुग्धशाला का सुद्रढ़ीकरण

00 -

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	2861000	2139000	5000000
	2861000	**2139000**	**5000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2139000